संपादकीय

घरेलू कामगारों के हक में

दुनिया भर के घरेलू कामगारों की एक ऐतिहासिक जीत के रूप में अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 2010 में हुए 99वें अधिवेशन की 21वीं बैठक में घरेलू कामगारों के लिए बनाई गई मानक निर्धारण समिति ने फैसला किया कि “अगले सामान्य अधिवेशन 2011 की कार्य सूची” में घरेलू कामगारों के लिए सम्मानजनक श्रम नामक एक और विषय जोड़ा जाएगा ताकि इसके बारे में समग्र मानक कन्वेंशन और पूरक सिफारिशें पारित की जा सकें। इस कन्वेंशन के खिलाफ भारत सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी निरस्त कर दिया।

त्रिपक्षीय मानक निर्धारण समिति ने ‘यलो रिपोर्ट’ पर चर्चा की जिसमें सदस्य देशों से मिली कानून एवं व्यवहार रिपोर्ट (‘व्हाइट रिपोर्ट’) पर आए लिखित उत्तरों का सार-संकलन किया गया था। इसके बाद समिति ने कुछ निष्कर्ष सुझाए जो उन उत्तरों के आधार पर आईएलओ कार्यालय ने तैयार किए थे। आईएलओ निदेशक मंडल ने (मार्च 2008 के 301वें अधिवेशन में) आईएलसी के 99वें अधिवेशन (2010) की कार्यसूची में ‘घरेलू कामगारों के लिए सम्मानजनक श्रम’ विषय जोड़ा था। मानक निर्धारण समिति ने प्रस्तावित निष्कर्षों पर विचार किया और उनके बारे में एक सहमति बनाई। लेकिन ‘घरेलू कामगारों के लिए सम्मानजनक श्रम’ के बारे में मानक निर्धारण की यह कार्यवाही इस साल पूरी नहीं हुई। मानक निर्धारण समिति की रिपोर्ट पर हुई चर्चा के आधार पर आईएलओ कार्यालय एक ‘ब्राउन रिपोर्ट’ तैयार करेगा जिस पर सदस्य देशों से एक बार फिर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद आईएलओ एक ‘ब्लू रिपोर्ट’ तैयार करेगा जिसमें 2001 में सम्मेलन द्वारा विचारार्थ प्रस्तावित मानकों का मसविदा होगा। दुनिया भर के करोड़ों घरेलू कामगारों को यह देखने के लिए अभी एक साल और इंतजार करना पड़ेगा कि सरकारों, मालिकों एवं कामगारों की यह वैश्विक संस्था उनके काम के मानकों को तय करने में अंततः कामयाब हो पाती है या नहीं।

घरेलू श्रम के बारे में मानक निर्धारण के लिए दोहरी चर्चा की व्यवस्था इस मुद्दे की विशेषता और सदस्य देशों में व्याप्त अनिर्णय की मनोदशा का परिणाम है न कि आईएलओ की प्रक्रिया का। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने आईएलओ को भेजे अपने उत्तर में एक गैर-बाध्यकारी सिफारिश का समर्थन किया था। भारत सरकार ने मानक निर्धारण समिति में भी इसी तर्क का अनुसरण किया और एक संशोधन प्रस्तावित किया जिसको नियोक्ताओं के समूह से काफी समर्थन मिला। इस संशोधन में प्रस्ताव रखा गया था कि ‘सिफारिश से युक्त कन्वेंशन’ की जगह केवल ‘सिफारिश’ शब्द को रखा जाना चाहिए। इस तरह भारत सरकार दुनिया की प्रगतिशील आवाजों से अलग-थलग पड़ गई और भारत सरकार के प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि “क्योंकि बहुत सारे देशों में घरेलू कामगारों की कार्य स्थितियों के नियमन व सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है इसलिए ऐसे देश कन्वेंशन का अनुसमर्थन/रेटीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन, अगर केवल सिफारिशें पारित की जाएं तो सदस्य देशों को व्यावहारिक और स्थिर मानक व नीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी और आईएलओ सदस्य देशों को संबंधित रणनीतियां विकसित करने में मदद दे सकता है।” घरेलू कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने में भारत सरकार की यह हिचकिचाहट प्रत्यक्षतः इस आशंका से पैदा हुई है कि भारत में घरेलू कामगारों के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है और मौजूदा श्रम प्रशासन व कानूनों के जरिए घरेलू श्रम का नियमन संभव नहीं है क्योंकि घरों को श्रम कानूनों के अंतर्गत ‘उद्योग’ की परिभाषा में नहीं रखा गया है। बेशक, कानूनों के अभाव को भारत सरकार कभी भी दूर कर सकती है लेकिन

घरों को 'उद्योग' के रूप में परिभाषित न करने की समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण की प्रक्रिया निश्चित रूप से घरेलू श्रम की अनूठी विशिष्टताओं को मान्यता देने और उसके क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद देगी।

इन परेशानियों के दौरान और खास तौर से हाल ही में हुई मानक निर्धारण चेष्टाओं के दौरान घरेलू श्रम की अनूठी विशिष्टताओं पर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। इनमें ऐतिहासिक रूप से इस काम के उदय और उसके समकालीन रूपों का विविध ब्यौरा मिलता है। इन अध्ययनों की सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी महिलाओं द्वारा किए जाते रहे घरेलू श्रम का वस्तुकरण हो रहा है। मुख्य धारा का अर्थशास्त्र घर में महिलाओं की व्यस्तताओं को 'उत्पादक कार्य' नहीं मानता इसलिए इसे अधिकृत आर्थिक एवं सामाजिक नीति दस्तावेजों में श्रम के रूप में मान्यता भी नहीं दी जाती। श्रम की इस पितृसत्तात्मक अवधारणा को चुनौती देते हुए महिलाओं के आंदोलनों और नारीवादी साहित्य ने महिलाओं द्वारा किए जा रहे 'प्रजननशील कार्यों' के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्य पर जोर दिया है। इसके साथ ही महिलाओं के आंदोलनों ने इस बात के लिए भी आवाज उठाई है कि महिलाओं को उन व्यवसायों में काम करने का अधिकार दिया जाए जिनको उत्पादनशील और खालिस पुरुषों के लिए आरक्षित माना जाता है। बदले में पुरुषों को भी महिलाओं के लिए तय कर दिए गए घरेलू कामों में हाथ बटाना चाहिए। हालांकि महिलाओं की जिम्मेदारियों में पुरुषों की हिस्सेदारी के अभियान से बहुत फर्क नहीं आया है लेकिन महिलाएं अभी तक पुरुषों द्वारा किए जा रहे कामों की दुनिया में बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी हैं। वे बावर्चीखाने के दिन-रात के चक्र से भी मुक्त हो रही हैं। 'श्रम बाजार में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता' और घर के कामों में हिस्सेदारी के प्रति पुरुषों की हिचकिचाहट महिलाओं के लिए 'दोहरे बोझ' को जन्म दे रही है। उन्हें दफ्तरों या फैक्ट्रियों में तो काम करना ही पड़ता है, साथ में उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है। इसके चलते अकसर ये जरूरी हो जाता है कि घरेलू कामों का जिम्मा संभालने के लिए किसी और व्यक्ति को रखा जाए। घरों में महिलाओं के 'प्रजननशील कार्य' के दो पहलुओं का वस्तुकरण हुआ है : 'सेवा टहल' के काम जिनमें पति, बच्चों एवं बुजुर्गों सहित परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं भावानात्मक जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है और दूसरा 'गंदे' काम यानी खाना पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू-पोछा आदि।

घरेलू कामों का वस्तुकरण और इसे दूसरे लोगों के सुपुर्द कर देने की प्रक्रिया, इन दोनों बातों से घरेलू श्रम का एक और अनूठा पहलू सामने आता है। ये 'दूसरे लोग' महिलाएं हैं। घरेलू श्रम को अक्सर श्रम के नारीकरण की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत सारे देशों में महिलाओं के रोजगारों का 15 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा घरेलू श्रम के क्षेत्र में आता है और घरेलू कामगारों में महिलाओं की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा रहती है। दरअसल ये श्रम का नारीकरण नहीं है क्योंकि यह काम पहले भी पुरुष नहीं करते थे बल्कि ये महिलाओं द्वारा किए जा रहे काम को दूसरी महिलाओं को सौंप देने की प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को बहुत मामूली पारिश्रमिक मिलता है। उन्हें वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र और सामुदायिक विभाजक रेखाओं के अनुसार बहुत कम अधिकार मिलते हैं जिससे इन 'अन्य महिलाओं' की खुद अपने परिवारों या अपनी देखभाल की क्षमता पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। ये महिलाएं हमारे देश के मध्यवर्गीय और संपन्न परिवारों में घरेलू काम करने जाती हैं और उनमें से ज्यादातर दरिद्र किसान परिवारों की महिलाएं या ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका व्यवस्थाओं से वंचित हो चुकी हैं। इस काम के चलते इन महिलाओं के परिजनों को देखभाल की सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें यही काम दूसरों के घरों में पैसों के लिए करना पड़ता है। दिल्ली में एक घरेलू कामगार ने बताया कि जब वह औरों के घरों में काम करने जाती है तो अपने दोनों बच्चों को चारपाई से बांध कर जाती है क्योंकि वहां कोई नहीं है जो बच्चों पर नज़र रख सके और न ही वह उन्हें साथ ले जा सकती है। उसके पास ये सुनिश्चित करने का और कोई तरीका नहीं है

कि उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चे सुरक्षित रहें। कुछ लोगों के लिए जीवन-श्रम संतुलन को हल करने की यह कोशिश दूसरों के लिए गंभीर जीवन-श्रम अंसतुलन पैदा कर देती है और इससे श्रम के लैंगिक विभाजन की व्यवस्था और पुष्ट हो जाती है।

तीसरी बात, गैर-उत्पादक और निजी पारिवारिक कामों के वस्तुकरण से भी इस काम को 'श्रम' के रूप में मान्यता नहीं मिली है और न ही इसके 'मूल्यांकन' की संभावना पैदा हुई है। घरेलू कामगारों की अभी भी सही-सही गिनती उपलब्ध नहीं है। न ही राष्ट्रीय आंकड़ों में उनको समुचित प्रकार गिना जाता है। मिसाल के तौर पर, 2004-05 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (एनएसएसओ) अनुमानों के मुताबिक भारत के निजी घरों में 47.05 लाख घरेलू कामगार काम करते हैं। घरेलू कामगारों की 'अदृश्यता' का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वे निजी घरों की चारदीवारी में काम करते हैं बल्कि इसका कारण ये भी है कि वे परम्परागत रूप से अदृश्य, गिनती से बाहर और गैर-उजरती काम कर रहे हैं। भारत के ज्यादातर राज्यों में घरेलू श्रम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और जहां इसको शामिल किया गया है वहां भी घरेलू कामगारों को अभी उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। घरेलू श्रम आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए एक विकल्प होता है जिनके पास श्रम बाजार में दाखिल होने के लिए कोई और हुनर नहीं होता और उन्हें 'अकुशल' कामगारों के रूप में देखा जाता है। दिल्ली में 8 घंटे की पाली के लिए अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी 5,272 रुपये (1 फरवरी, 2010 से प्रभावी) तय की गई है। यानी यह 203 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी बैठती है। दिल्ली में घरेलू कामगारों को विरले ही इतनी तनख्वाह मिलती है। गैर-आवासीय घरेलू कामगारों को अलग-अलग कामों के हिसाब से पैसा मिलता है लेकिन उनकी सारी मजदूरी भी कभी 203 रुपये प्रतिदिन तक नहीं पहुंच पाती। इस काम को श्रम के रूप में मान्यता न मिलने का एक परिणाम ये होता है कि ये मजदूर श्रम स्थितियों, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक मोलभाव के अधिकार जैसी दूसरी कानूनी सुरक्षाओं से भी वंचित रह जाते हैं। घर की चारदीवारी को नियमावलियों और कानूनों में कार्यस्थल की परिभाषा से बाहर रखा गया है इसलिए यहां इन कानूनों को लागू करना भी मुश्किल हो जाता है।

घरेलू श्रम का चौथा विशिष्ट आयाम ये है कि घरेलू कामगारों में प्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। ये प्रवासी या तो निम्न आय देशों से उच्च आय देशों में जाते हैं या वे एक ही देश के गरीब इलाकों से संपन्न इलाकों की तरफ जाते हैं। यूरोप में, खाड़ी के देशों में और मध्य-पूर्व में ज्यादातर घरेलू कामगार एशिया की प्रवासी महिलाएं हैं। इसी तरह, एशिया के उच्च आय देशों में भी एशिया के ही कई गरीब देशों से बहुत सारी महिला घरेलू कामगार काम करने आती हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान चरण और असमान विकास के चलते घरेलू काम के लिए महिलाओं के इस तेज प्रवसन को 'वैश्विक सेवा टहल शृंखला' 'नया अंतर्राष्ट्रीय प्रजननशील श्रम' तथा 'एक नई घरेलू विश्व व्यवस्था' आदि नाम दिए जाते रहे हैं। इस तरह के शब्द ऐसी अनौपचारिक और संस्थागत प्रणालियों व प्रक्रियाओं को इंगित करते हैं जिनसे जेंडर, आर्थिक विकास, नस्ल, सामुदायिकता, रंग और धर्म आदि सत्ता की धुरियों के आधार पर सेवा टहल कार्यो के लिए महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। प्रवासियों के आवागमन को निजी एजेंटों और ठेकेदारों ने नियंत्रित किया हुआ है। सरकारी नीतियां भी इनके जीवन को प्रभावित करती हैं। इनमें से कोई भी पक्ष प्रवासियों के अधिकारों की परवाह नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है कि घरेलू कामगारों की मांग और उनकी आवाजाही पर लगी पाबंदियों के चलते संभावित घरेलू कामगारों, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की खरीद-फरोख्त शुरू हो जाती है। इस तरह के कामगार गैर-दस्तावेजी ढंग से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं जिससे वे भारी असुरक्षा व अपराधीकरण के खतरे में पहुंच जाते हैं। घरेलू श्रम दुनिया के सबसे ज्यादा नस्ली और अपमानित व्यवसायों में गिना जाता है। नस्लीकरण तब होता

है जब नस्ल, रंग और जातीयता के आधार पर एक समूह के मजदूरों को दूसरे समूह के मजदूरों की तुलना में वरीयता दी जाती है। यूरोप और खाड़ी के उच्च आय देशों में काम करने वाले गरीब देशों के घरेलू कामगार आमतौर पर तात्कालिक प्रवासी कामगार होते हैं जिनको अपने मेजबान देश में स्थायी आवास बनाने, श्रम बाजार में कोई दूसरी नौकरी ढूंढने या सामाजिक सुरक्षा के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होता। इसी 'वैश्विक सेवा-टहल' शृंखला की एक प्रतिलिपि भारत में भी देखी जा सकती है जहां महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या ताकतवर एजेंटों की मार्फत शहरी घरों में घरेलू काम करने के लिए जाती है। इन महिलाओं को भयानक आवासीय एवं नागरिक सुविधाओं के साथ जीना पड़ता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाने पड़ते हैं। इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। इन्हें पहचान का साक्ष्य ना होने और गैर-कानूनी ढंग से लाए जाने के कारण नागरिकता के अधिकार भी नहीं मिलते। हमारे देश में घर की निजी चारदीवारी में होने वाला घरेलू श्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां जातीय भेदभाव और पुष्ट हो जाता है हालांकि अभी तक इस मसले पर सार्वजनिक बहस नहीं हुई है। घरेलू कार्यों को निपुणता के आधार पर तय नहीं किया जाता है बल्कि इस आधार पर तय किया जाता है कि मजदूर की जाति क्या है। जातीयता, धर्म, रंग और जाति के आधार पर पसंद या नापसंद का तय होना भारत में घरेलू श्रम के नस्लीकरण की मनोदशा का परिचायक है।

घरेलू श्रम का पांचवा विशिष्ट पहलू ये है कि इसमें कामगार और नियोक्ता के संबंध तथा उनकी कार्यस्थितियों को संयुक्त राष्ट्र समकालीन दासता विशेष संरक्षक द्वारा समकालीन गुलामी के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी जिस तरह घरेलू कार्य किए जा रहे हैं उसे देखते हुए हाल ही में यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा ने भी इसे घरेलू दासता की संज्ञा दी है तथा "मेल ऑर्डर दुल्हनों" (1663/2004) के रूप में चिन्हित किया है। भारत में बंधुआ मजदूरों की पत्नियों को अपने मालिकों के घरों में घरेलू काम करने पड़ते थे हालांकि ज्यादातर मामलों में जातीय भेदभाव की वजह से वे बावर्चीखाने तक नहीं जा पाती थीं। ग्रामीण भारत के कुछ भागों में इस तरह की प्रथा अभी भी काफी आम है लेकिन अब शहरों में इसे नए रूप में देखा जा सकता है।

वस्तुकृत घरेलू श्रम के मामले में मालिक महिलाओं की श्रम शक्ति को ही नहीं खरीदते बल्कि उस महिला के अस्तित्व को ही - महिलाओं की सामाजिक रूप से प्रजननशील विशिष्टताओं - को खरीद लेते हैं। खासतौर से आवासीय घरेलू कामगारों के मामले में इन आयामों का मालिकों के सुपुर्द चले जाना स्पष्ट देखा जा सकता है जिससे वे गंभीर शारीरिक व भावनात्मक उत्पीड़न की आशंका और समकालीन दासता जैसी स्थितियों में पहुंच जाती हैं। घरेलू कामगारों के काम की कोई सीमा नहीं है। रात में भी उनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको वस्तुओं के रूप में भुगतान किया जाता है, उनके भोजन व आवास को भी वस्तु रूपी भुगतान मान लिया जाता है, उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता या उनकी तनख्वाह रोक ली जाती है, उनसे अवैतनिक मजदूरी करवाई जाती है - ये सभी घरेलू कामगारों को नियंत्रित करने के प्रचलित साधन बन गए हैं। घरेलू कामगार आमतौर पर अपने मालिकों के घर में ही रहती हैं जो कि उनका कार्यस्थल भी होता है। इससे उनकी आवाजाही और प्राइवेसी भी समाप्त हो जाती है। इन महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, गाली-गलौज और यंत्रणा के चलते मौत की भी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं। घरेलू कामगारों को यौन उत्पीड़न व हमलों का भी सामना करना पड़ता है।

घरेलू श्रम के इन विशिष्ट आयामों ने घरेलू कामगारों को संगठित करने के रास्ते में काफी रुकावटें पैदा की हैं जिससे यह क्षेत्र सबसे कम संगठित क्षेत्रों में शुमार किया जाता है। वैधानिक हैसियत का अभाव, रोजगार छिनने का डर, प्रवासी होने की स्थिति में देश निकाले की आशंका, परिवार की प्राइवेसी का सवाल, रोजगार का बिखरे हुए होना, काम की लंबी पाली और कई-कई मालिकों के लिए काम करना, ये सारे ऐसे पहलू हैं जो घरेलू कामगारों को सार्वजनिक रूप से अपनी

बात कहने और अपना विरोध प्रदर्शन करने से रोक देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वस्तुकृत घरेलू श्रम फैल रहा है और शोषण में सघनता आई है वैसे-वैसे इन मजदूरों को संगठित करने के लिए अभिनव रणनीतियां और अवसर भी सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें एक-दूसरे से मिलने, एक-दूसरे को समझने और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के नए मौके मिले हैं। घरेलू श्रम के बारे में मानक तय करने के लिए आईएलओ द्वारा किया गया प्रयास घरेलू श्रम को श्रम के रूप में तथा घरेलू कामगारों को श्रमिकों के रूप में मान्यता देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। अगर आईएलओ अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है तो राष्ट्रीय सरकारों को भी घरेलू कामगारों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा और उन्हें ट्रेड यूनियनों और नागर समाज संगठनों के इस दबाव का सामना करना पड़ेगा कि वे घरेलू कामगारों के अधिकारों को सुरक्षा दें। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत घरेलू श्रम मानक अंततः घरेलू कार्यों के लैंगिक विभाजन और स्वरूप को समाप्त कर पाएंगे या नहीं यह अभी यक्ष प्रश्न है।

आईएलओ के इन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए श्रमजीवी ने भारत में घरेलू श्रम से संबंधित विभिन्न आवाजों को संकलित करने का प्रयास किया है। श्रमजीवी के इस अंक में कई विश्लेषणपरक लेख, स्थानीय अनुभव, घरेलू कामगारों के वृत्तांत व विवरण समाहित किए हैं। जयति घोष, इरूदया राजन, कोएन कोम्पियर, नीता एन, रीको त्सुशीमा एवं श्रायना भट्टाचार्या ने घरेलू कामगारों के लिए मानकों के मुद्दे पर चर्चा की है और उसे भारतीय संदर्भ में चिन्हित करने का प्रयास किया है। सुश्री साचिको यामामोतो, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, आईएलओ ने इस मुद्दे पर आईएलओ का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जबकि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री हरीश रावत ने अपने साक्षात्कार में भारत सरकार की समझ रखी है। इस अंक में सुश्री ज्याँ देवोस के साथ की गई बातचीत के अंश भी प्रकाशित किए गए हैं जो नैशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट की नेता हैं। इस अंक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों और घरेलू कामगारों के बीच काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के समृद्ध और विविध अनुभवों को भी संकलित किया गया है। मजदूरों से उनके घरों में जाकर मिलना, मजदूरों की जातीय एवं क्षेत्रीय पहचानों का इस्तेमाल करना, धार्मिक अवसरों का लाभ उठाना, यूनियनों में संगठित मध्यवर्गीय मालिकों को अपने घरेलू कामगारों प्रति संवेदनशील बनाना, घरेलू कामगारों के पहचान पत्र जारी करना, घरेलू कामगारों के लिए वैकल्पिक प्लेसमेंट सेवाएं चालू करना, घरेलू कामगारों के को-ऑपरेटिव शुरू करना, घरेलू कामगारों की निपुणता सुधार के जरिए उनका पेशेवरकरण करना, पेशेवर घरेलू कामगारों को अपनी सेवाएं संचालित करने में मदद देना और उन्हें हड़ताल व प्रदर्शनों का नेतृत्व करने में मदद देना - घरेलू कामगारों को संगठित करने के अनुभवों में विविधता और सघनता की कोई कमी नहीं है। सिंधु मेनन द्वारा लिखी गई आवरण कथा दिल्ली में घरेलू कामगारों की दुर्दशा को बहुत सटीक रूप से प्रस्तुत करती है।

हम यह अंक सुमरी को समर्पित करते हैं जिसने अपने मालिकों के हमलों और प्रताड़ना का बहादुरी से मुकाबला किया और आज सिर्फ एक बिस्तरे पर सिमट कर रह गई है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आज भी बरकरार है। श्रमजीवी भारत सरकार से आह्वान करती है कि वह अपने घरेलू कामगारों के हक में कदम उठाए और आईएलसी 2011 में कन्वेंशन तथा पूरक सिफारिशों के पक्ष में निर्णायक मत दे।

जे जॉन